न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

R-142-II/16

1— भरतलाल तनय बृजनंदन खरे ,
निबासी ग्राम फुटेर चक क0 1 ,
तहसील खारगापुर, जिला टीकमगढ़ म प्र0

2— रामलाल तनय प्यारेलाल लोधी ,
निबासी ग्राम खरगापुर तहसील खारगापुर, जिला टीकमगढ़ म0प्र0

................आवेदकगण

वनाम

1— बाबूलाल तनय दयालचंद जैन ,

2— राजीव तनय बाबूलाल जैन ,
निबासी ग्राम खारगापुर तह0 खारगापुर, जिला टीकमगढ़ म प्र0

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :—

आवेदकगण की ओर से निम्न प्रार्थना है :—

1— यह कि आवेदकगण यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा द्वारा प्र0क0 653 / वी121 / 2014—15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 18 / 11 / 2015 से परिवेदित होकर कर रहे हैं। जो समय सीमा में है। माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक क0 एक भरतलाल के नाम से ग्राम खरगापुर में खसरा नंबर 2962 में रकवा 0.413 है0 भूमि राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी हक में दर्ज थी, उपरोक्त भूमि में से 0.300 आरे भूमि रोड में निकल गई थी उसका अधिग्रहण हो गया

जो लागू न हो उसे काट दें।
अंगुष्ट चिन्हों को उपरोक्तानुसार विवरण प्रस्तुत करते हुये किसी साक्षर व्यक्ति द्वारा अनुप्रमाणित किया जायेगा।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 142-II/16 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
दि. 6.1.16	[1] मैंने प्रकरण में निगरानीकार के विद्वान अधिवक्ता के कायमी पर तर्क सुने, तथा उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन किया।	
	[2] अपने तर्क में विद्वान अधिवक्ता ने वही बिन्दु दोहराये जो निगरानी मेमो में लिखे गए हैं। उन्होंने कहा कि अपर आयुक्त ने पंचनामा दि 9.12.14, विचारण न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन दि 10.12.14 के पूर्व होने जैसा तकनीकि त्रुटि का आधार लेते हुए अपील स्वीकार की है, जो कि अनुपयुक्त है। यह भी कहा कि SDO ने स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निर्णय दिया है, जिसे अपरायुक्त द्वारा खारिज किया जाना ठीक नहीं है। उन्होंने व्यवहार न्यायालयों के आदेश दि. 29.7.15 एवं 11.8.15, तथा मौके के नक्शे का सन्दर्भ लेते हुए अपरआयुक्त का आदेश निरस्त कर अन्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश यथावत रखने का निवेदन किया।	
	[3] विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के प्रकाश में मैंने अभिलेखों का बारीकी से	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.1.16	अध्ययन किया। इस सबके फलस्वरूप मैं प्रकरण में निम्न बिन्दु प्रमुखता से विचारयोग्य पाता हूँ :- (1) अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि. 18.11.15 एक स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश है जिसमें इन्होंने कारणों के आधार पर निष्कर्ष निकाले हैं। (2) अपर आयुक्त द्वारा, यह किया गया कि तहसीलदार के सीमांकन हेतु दिए गए निर्देश के बावजूद RI-पटवारियों के दल ने विधिवत (स्थाई सीमा-चिन्हों आदि का आधार लेते हुए) सीमांकन ना करके केवल "खसरा नम्बरों की सीमाओं का मिलान" दि. 29.5.15 के "स्थल निरीक्षण / स्थल के भौतिक सत्यापन" में किया, महत्वपूर्ण है। यह कि इस मौके की कार्यवाही के दौरान गैर-निगराकार पक्ष की अनुपस्थिति के बावजूद, उनका निगराकार पक्ष की भूमि पर कब्जा बता दिया गया, भी महत्वपूर्ण बिन्दु है।	

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.142-III/16 जिला इन्दौर 16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6.1.16	अतः विधिवत सीमांकन के बगैर एवं गैरनिगराकार की अनुपस्थिति के बावजूद गैर-निगराकार द्वारा अवैध कब्जा किया जाने के माल अभिलेख को स्थापित करने में अपर आयुक्त ने गलती नहीं की है। (3) निगराकार पक्ष द्वारा यह कहा गया है कि उनकी भूमि ख.नं. 2962 में भू-अर्जन हो जाने के उपरान्त भी 0.113 हे. भूमि शेष है। इस बिन्दु का पुराने अभिलेखों एवं आदेश का सन्दर्भ और आधार लेते हुए निराकरण करना भी आवश्यक है। प्रकरण में विवाद की स्थिति को निबटाने के लिये उभयपक्ष की भूमियों के वर्तमान में उपलब्ध ख.नं.-वार रकबों पर स्पष्टता होनी आवश्यक है जिसे पहले खसरों और नक्शों	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-1-16	में, और उसके बाद, उभय पक्ष के पक्षकारों तथा अन्य हितबद्ध व्यक्तियों एवं सीमावर्ती भू-धारियों को नोटिस देते हुए और पक्ष समर्थन का अवसर देते हुए, स्थाई सीमाचिन्हों का आधार लेते हुए, विधिवत किए गए सीमांकन के द्वारा, मौके पर खसरे नम्बरों की सरहद्दियों सहित, पहचाना जाना आवश्यक है। स्पष्ट है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रकरण में अभी नहीं हुई है, जिससे विवाद की स्थिति विद्यमान है। (उपरोक्त कार्यवाही के दौरान भू-अर्जन में गई भूमि को सही से पहचानना, और उसके बाद पक्षकारों, हितबद्ध व्यक्तियों तथा सरहद्दी कृषकों की भूमियों को सही से पहचानना महत्वपूर्ण है।)	

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.

5

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/142-II/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-1-16	[4] उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मैं अपर आयुक्त, सागर के आक्षेपित आदेश दि 18-11-15 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पाते हुए उसे यथावत रखता हूँ। [5] साथ ही, न्यायहित में, तथा विवाद को निबटाने के दृष्टिकोण से, संबंधित तहसीलदार, तह. खरगापुर, जि. टीकमगढ़ को यह निर्देश देता हूँ कि वे इस आदेश के पूर्ववर्ती पैरा [3] के बिन्दु क्र (3) में लिखी जा चुकी प्रक्रिया का पालन करते हुए तथा उसमें लिखे गए निर्देशों के अनुसार, नए सिरे से मौके पर सीमांकन की कार्यवाही करते हुए, समस्त पक्षकारों को मौके पर उनकी भूमियों की पहचान अभिलेखों एवं नक्शों के अनुसार कराएं। इस	

[कृ. प. उ.

M

R.142-IV/16 2016

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भारतलाल बाबूलाल	
	कार्यवाही में वे उभय पक्ष के पक्षकारों को सूचना एवं पक्षसमर्थन का पूर्ण अवसर दें। सीमांकन की कार्यवाही समस्त सिद्धांतों का पालन करते हुए सुनिश्चित करें। तहसीलदार यह समस्त कार्यवाही, रा.मं.के इस आदेश की उन्हें सूचना के अधिकतम 3 माह के भीतर, पूर्ण करना सुनिश्चित करें। आदेश पारित। पक्षकार एवं तहसीलदार, खरगापुर जिला टीकमगढ़ सूचित हों। निगरानी अग्राह्य। प्रकरण समाप्त। दा.द.हो। 6.1.16 (सदस्य)	

शाक्षेमुग्वा—75—फॉर्म्स—17-6-2015—5,000.